

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-348/2024 दिनांक 12.12.2024)
***दिनांक-12.12.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

धोखाधड़ी कर साइबर क्राईम करवाने हेतु लाओस/कम्बोडिया जैसे देश में भेजने वाले गैंग का खुलासा, 03 अभियुक्तों को मय 26 अदद फर्जी मुहरे (कूटरचित सरकारी/ गैर सरकारी) व रूपया 2155/- नकद, पीड़ितों के अवैध तरीके से रखे 08 अदद पास पोर्ट भिन्न-भिन्न नामों से व अपराध में प्रयुक्त दो अदद लैपटाप, एक अदद की बोर्ड, एक अदद चार्जर, 01 अदद आधार कार्ड व 05 अदद एटीएम कार्ड व कुल 72 अदद प्रपत्र व अपराध में प्रयुक्त 03 अदद मोबाइल भिन्न भिन्न कम्पनियों के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज कुशीनगर श्री अमित कुमार सक्सेना के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विदेश भेजने के नाम पर भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर ठगी व धोखा करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है।

दिनांक 07.10.2024 को आवेदक थी नन्दन पाण्डेय पुत्र भृगुनाथ पाण्डेय सा0 सलेमगढ़ थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभिषेक कुमार पाण्डेय पुत्र नगनरायण पाण्डेय निवासी तरयाकारीशाही थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर व उनके साथियों द्वारा आवेदक को विदेश भेजने के नाम पर रुपये लेकर ठगी व धोखा किया किया गया है। इस सूचना पर घटना का संज्ञान लेते हुए थाना तरया सुजान पर मु0अ0सं0 430/2024/धारा 420/504/506/370(1)iv(2)/468 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण / अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के नेतृत्व में टीम गठित कर निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में आज दिनांक 12.12.2024 को थाना तरयासुजान, स्वाट व साइबर थाना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र तरया सुजान से विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले नामजद व वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछ-ताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि ये लोग धोखाधड़ी कर साइबर क्राइम करवाने हेतु भोले-भाले लोगों को झांसे में लेकर लाओस, कम्बोडिया जैसे देशों में भेजते हैं। वहां पर किसी बड़ी विल्डिंग के एक कमरे में बंद कर साइबर क्राइम करने हेतु विवश करते हैं तथा मना करने पर प्रताड़ित करते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 430/2024 धारा 420/504/506/370(1)iv(2)/468
भा0द0वि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- अभिषेक पाण्डेय पुत्र नगरायण पाण्डेय सा0 तरया कारी शाही थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2- राहुल राय पुत्र हरिकेश राय सा0 बंजारी थाना गोपालगंज जि0 गोपालगंज बिहार
3. चुसमन शाह पुत्र दिनानाथ शाह सा0 कपरपुर थाना उचकागांव जनपद गोपालगंज बिहार

बरामदगी का विवरण:-

1. 26 अदद फर्जी मुहरे (कूटरचित सरकारी/ गैर सरकारी)
2. 08 अदद पास पोर्ट भिन्न-भिन्न नामो से
3. दो अदद लैपटाप
4. एक अदद की बोर्ड, एक अदद चार्जर
5. 01 अदद आधार कार्ड
6. 05 अदद एटीएम कार्ड
7. कुल 72 अदद फर्जी प्रपत्र
8. 03 अदद मोबाइल भिन्न भिन्न कम्पनियों
9. रूपया 2155/- नकद

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1-प्र0नि0 श्री राजप्रकाश सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर मय टीम
- 2- व0उ0नि0 श्री श्यामलाल निषाद थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 3- उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 4- उ0नि0 आलोक यादव स्वाट टीम कुशीनगर मय टीम
- 5- उ0नि0 प्रभात कुमार यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 6- का0 अखिलेश कुमार साइबर थाना जनपद कुशीनगर

7- का0 प्रशांत कुमार साइबर थाना जनपद कुशीनगर

थाना चौराखास पुलिस द्वारा दो झोले में 80 पाउच अवैध देशी शराब के साथ दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.12.2024 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. नथुनी चौहान पुत्र गनेश चौहान 2. श्याम कुमार पुत्र दीनानाथ सोनार साकिनान कटेया वार्ड नं0 4 थाना कटेया जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो झोले में 40-40 कुल 80 पाउच प्रत्येक 200 ML कुल 16 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 229/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चौराखास कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 230/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चौराखास कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-*

- 1- नथुनी चौहान पुत्र गनेश चौहान सा0 कटेया वार्ड नं0 4 थाना कटेया जनपद गोपालगंज बिहार
- 2- श्याम कुमार पुत्र दीनानाथ सोनार सा0 कटेया वार्ड नं0 4 थाना कटेया जनपद गोपालगंज बिहार

बरामदगी विवरण:-

दो झोले में 40-40 कुल 80 पाउच प्रत्येक 200 ML कुल 16 लीटर अवैध देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री विद्याधर कुशवाहा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 देवीलाल यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 मारकण्डेय थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
4. का0 विकाश प्रजापति थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
5. का0 विपुल कुमार थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा अपहरण दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.12.2024 को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 334/2023 धारा 363,366,376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त सूरज गुप्ता पुत्र हरिचन्द्र गुप्ता निवासी कुचिया मठिया थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 334/2023 धारा 363,366,376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

सूरज गुप्ता पुत्र हरिचन्द्र गुप्ता निवासी कुचिया मठिया थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SO श्री दीपक कुमार सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार वर्मा चौकी प्रभारी फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
3. का0 आनन्द गुप्ता थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
4. का0 मुलायम यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.12.2024 को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा मु0नं0 682/21 धारा 323/504/506/353/427/452 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त सुगन उर्फ सहजाद पुत्र अलीवास सा0 अहलादपुर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

वारण्ट मु0नं0 682/21 धारा 323/504/506/353/427/452 भादवि0



गिरफ्तार अभियुक्त-

सुगन उर्फ सहजाद पुत्र अलीवास सा0 अहलादपुर थाना पटहेरवा
जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SO श्री दीपक कुमार सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार वर्मा चौकी प्रभारी फाजिलनगर थाना पटहेरवा
3. का0 मनोज कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
4. का0 दीपक राम थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा एक अदद अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.12.2024 को कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना पर एक अभियुक्त आलोक तिवारी पुत्र प्रभाकर तिवारी निवासी साहबगंज दक्षिणी पडरौना थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 843/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 843/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली पडरौना
जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

आलोक तिवारी पुत्र प्रभाकर तिवारी निवासी साहबगंज दक्षिणी पडरौना,
थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 2- एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 रवि कुमार राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।

2. उ0नि0 आकाश वर्मा थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर ।
3. उ0नि0 बृजेश यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर ।
4. हे0का0 रामदरश चौहान थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर ।
5. का0 राहुल खरवार थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर ।

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 43 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-112 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-41, व्यक्ति-145
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(08)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-51)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

